

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक : स्था./प.20/2020/92

दिनांक: 18.05.2020

आदेश

माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 एवं परिपत्र क्रमांक 18/पी.आई./2020 दिनांक 17.05.2020 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में कोरोनावायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए दिनांक 18.05.2020 से अग्रिम आदेश तक उद्भूत/उत्पन्न होने वाले आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई हेतु (विशिष्ट न्यायालय/अधिकरण को छोड़कर) न्यायक्षेत्र करौली में पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण को निम्न प्रकार अधिकृत किया जाता है :-

जिला मुख्यालय करौली :-

क्र.सं.	आवश्यक प्रकृति के सेशन संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	आवश्यक प्रकृति के मजिस्ट्रेट संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	तिथि, जिनके लिए अधिकारीगण को अधिकृत किया जा रहा है
01	ADJ Karauli	-	18.05.2020 to 30.05.2020 (स्वयं के न्यायालय का कार्य) 18.05.2020 to 22.05.2020 (जिला न्यायालय करौली का कार्य)
02	Sp. Judge SC/ST Court Karauli	-	18.05.2020 to 30.05.2020 (स्वयं के न्यायालय का कार्य) 26.05.2020 to 30.05.2020 (जिला न्यायालय करौली का कार्य)
03	-	ACJM Karauli	18.05.2020 to 19.05.2020, 30.05.2020
04	-	JM Karauli	20.05.2020 to 22.05.2020
05	-	ACJ & JM Karauli	26.05.2020 to 29.05.2020

तालुका मुख्यालय हिण्डौन सिटी :-

क्र.सं.	आवश्यक प्रकृति के सेशन संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	आवश्यक प्रकृति के मजिस्ट्रेट संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत अधिकारी	तिथि, जिनके लिए अधिकारीगण को अधिकृत किया जा रहा है
01	ADJ No. 01 Hindauncity	-	18.05.2020 to 20.05.2020 & 26.05.2020 to 27.05.2020
02	ADJ No. 02 Hindauncity	-	21.05.2020 to 22.05.2020 & 28.05.2020 to 30.05.2020
03	-	ACJM Hindauncity	18.05.2020 to 19.05.2020, 30.05.2020
04	-	JM Hindauncity	20.05.2020 to 22.05.2020
05	-	ACJ & JM No. 01 Hindauncity	26.05.2020 to 29.05.2020

उपरोक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि:-

01. आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई Vidyo/whatsapp/skype or voice call के माध्यम से की जावे।
02. आवश्यक प्रकृति के प्रकरण/प्रार्थना पत्र केवल विभागीय ई-मेल आई.डी. पर इस शर्त के अधीन प्राप्त किये जावें कि न्यायालय में नियमित कार्य पुनः प्रारंभ होने पर संबंधित द्वारा हार्ड कॉपी/मूल कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जावेगी।



